08.12.2019

मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश
14/77, सिविल लाइन्स, कानपुर

श्रीमान सम्पादक महोदय,

विषय : GST "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019" एवं GST नए रिटर्न पर कार्यशाला संपन्न।

जी.एस.टी. पूर्व के केंद्रीय उपाद शुल्क एवं सेवाकर के बकाये एवं विवादित मामलों पर निपटारा करने हेतु सरकार ने उत्पाद शुल्क सेवाकर की माफ़ी ब्याज, अर्थदंड एवं अभियोजन, जेल सजा कार्यवाही से मुक्ति प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की है। बकायेदार इस योजना का लाभ 31 दिसम्बर तक प्राप्त कर सकते है। केंद्रीय जी.एस.टी. भवन में हेल्पडेस्क स्थापित किये गए है। जी.एस.टी. विभाग के अधिकारी कार्यदिवस पर बकायेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु मौजूद है। यह एक सुनहरा अवसर कारोबारियों के हितों में सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। अप्रैल, 2020 से GST के नए रिटर्न को पोर्टल पर दाखिल किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। जनवरी, 2020 से पोर्टल पर ट्रायल हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। नए रिटर्न दाखिले से कारोबारियों एवं सेवाप्रदाताओं को ITC मिसमैच देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। दोनों विषयों पर तकनीकी सत्र में GST विभाग के अधिकारियों अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे है एवं शंकाओं का समाधान करेंगे। उक्त विचार मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्डड एकाउंटेंट्स सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यशाला में श्री पी.के. कटियार, आयुक्त, केंद्रीय जी.एस.टी., कानपुर, ने व्यक्त किये।

प्रथम तकनीकी सत्र में GST विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर, श्रीमति पंकज मीना जी द्वारा "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019" के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक मुख्य उपयोगी जानकारी से अवगत कराया गया।
उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के 30 जून, 2019 तक निर्धारित एवं बकाये मामले में इस योजना का लाभ कारोबारी एवं सेवाप्रदाता उठा सकते है। 50 लाख तक के अधिनिर्णयन अथवा अपील मामले में 50% उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर में 70% तक की छूट दी गयी है केवल 30% ही जमा करना कराना होगा। 50 लाख या उससे अधिक के मामलों में 50% तक छूट दी जाएगी तथा शेष 50% जमा करना होगा। यह छूट अधिनिर्णयन अथवा अपील ले लंबित मामले में लागू होगी। अन्य बकाया राशि के मामले में 50लाख तक 60% की छूट दी जाएगी एवं अन्य मामलों में यह 40% तककी छूट दी जाएगी। ब्याज, अर्थदंड एवं जेल की सजा पूर्ण रूप से माफ कर दी जायेगी। प्रार्थना पत्र के आवेदन पर अंतिम निर्णय 60 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ एक्साइज ड्यूटी की चौथी अनुसूची में उल्लिखित उत्पाद शुल्क योग्य माल से सम्बंधित मामले जैसे तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद, पेट्रोल आदि,पर नहीं मिलेगा। दोषपूर्ण रिफंड के मामले एवं निपटान आयोग के समक्ष लंबित मामले में भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

तकनीकी सत्र के द्वितीय विषय पर श्री विजेंद्र मीना, सहायक आयुक्त, ने GST में नए रिटर्न पर विस्तार से पावर-पॉइंट प्रस्तुति से बताया कि ट्रायल दाखिला जनवरी 2020 से लागू एवं प्रभावी किया जा रहा है। विभाग, करदाताओं एवं सेवाप्रदाताओ को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित भी करेगा। अप्रैल, 2020 में GST के नए रिटर्न पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। GST का नया रिटर्न "RET-1" पोर्टल पर अपलोड होगा। "ए.एन.एक्स-1" में पंजीकृत करदाताओं एवं सेवाप्रदाताओं के इन्वॉयस अपलोड किये जाएंगे। कारोबारियों एवं सेवाप्राप्तकर्ता को सप्लाई उनके "ए.एन.एक्स-2" में पोर्टल में दिखाई देगी। यह पोर्टल पर ऑटोपापुलेटेड होगी।

यदि विक्रेता सांगत अवधि में इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाया है तो अगले टैक्स अवधि में अपलोड कर सकता है। विक्रेता या सेवा प्रदाता यदि अपना GST रिटर्न दाखिल नहीं कर रहा है तब इसके संकेत क्रेता को पोर्टल पर मिलने लगेंगे।

विक्रेता को सूचित कर उसे रिटर्न दाखिले के लिए कहना होगा। यदि लगातार 2 टैक्स अवधि तक विक्रेता या सेवाप्रदाता GST रिटर्न दाखिल नहीं करेगा तब क्रेता, कारोबारी या सेवा प्राप्तकर्ता को आई.टी.सी. क्रेडिट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यह सावधानी अब कारोबारियों को बरतनी होगी।

"ए.एन.एक्स-2" में संशोधन अंतिम रिटर्न "RET-1" दाखिल करने से पूर्व विक्रेता या सेवाप्रदाता अब नए रिटर्न प्रक्रिया में कर सकेगा। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि पोर्टल पर अपना परचेस रजिस्टर अपलोड करेंगे तब उन्हें आई.टी.सी. का मिसमैच पोर्टल पर दिखने लगेगा।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त उस वित्तीय वर्ष में कमीं या गलती आदि सुधारने हेतु अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक के रिटर्न में पूर्व की भाँती की जा सकती है। किन्तु इसके लिए पोर्टल पर अब नए फॉर्म "Form RET-1 A " पर अपलोड करना होगा।

शंका-समाधान सत्र में GST विभाग में अधिकारियों द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अधिवक्ताओं, कारोबारियों की शंकाओं का समाधान किया गया। GST कार्यशाला की अध्यक्षता मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री मुकुल टंडन, ने किया। कार्यशाला का संचालन चैम्बर की जी.एस.टी. कमेटी के चैयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने किया एवं आभार कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने व्यक्त किया ।

इस अवसर पर केंद्रीय GST विभाग के अधिकारी जॉइंट कमिश्नर जीतेन्द्र सिंह, सुप्रिनटेंडेंट विवेक गुप्ता, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री संदीप बाली, श्री किशोर, श्री एस.के. चौधरी आदि उपस्थित थे। K.I.T.B.A. के अध्यक्ष श्री दीप कुमार मिश्रा एवं महामंत्री श्री राजीव कुमार गुप्ता, K.C.A.S. के अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता एवं महामंत्री अखिलेश तिवारी, श्री शरद शाह, श्री महेंद्र नाथ मोदी, श्री सुशील शर्मा, श्री अविनाश चतुर्वेदी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

एम.एन.मोदी
सचिव